



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1579 वर्ष 2026

कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी/ सहायक उप-निरीक्षक
दीपक सिंह

बनाम

याचिकाकर्ता(ओं)

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार तिवारी
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. तिवारी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की बात सुनी।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर नियुक्त किया गया था और उनकी तैनाती गौतम बुद्धनगर में 14.06.2025 को हुई थी। याचिकाकर्ता का तबादला गौतम बुद्धनगर से लखीमपुर खीरी में कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 8879/2025 दायर की, जिसका निपटारा प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने के लिए किया जाना था। इसके बाद 20.08.2025 का प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते हुए विवादित आदेश पारित किया गया।
- इसी बात को लेकर प्रश्न उठाते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित तबादला आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता, विशेषकर तब जब अन्य पदाधिकारी पद से नहीं हटाए गए हैं जबकि याचिकाकर्ता को हटा दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता को कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पद पर पदोन्नत किया गया है, लेकिन उन्हें गौतम बुद्धनगर के निकटवर्ती जिलों में तैनात किया जाना चाहिए था।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक स्थानांतरणीय पद पर कार्यरत है।
- मैंने शुरुआती दलील सुनी है और अभिलेख का अध्ययन किया है।
- स्पष्टतः, याचिकाकर्ता को कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर नियुक्त किया गया था और पदोन्नति के बाद 14.06.2025 को उनका तबादला लखीमपुर खीरी में कर दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, गौतम बुद्धनगर में कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायालय की राय में, एक बार याचिकाकर्ता का तबादला हो जाने पर वह तबादले का विरोध नहीं कर सकता। एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति मिली है और तबादला हुआ है। इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता ने तबादले वाले स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, इसलिए उनकी पसंद के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए उनके मामले पर विचार किया जा सकता है। न्यायालय की राय में, एक बार याचिकाकर्ता का तबादला हो जाने और उन्होंने तबादले वाले स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लेने के बाद, उनके लिए तृतीय प्रतिवादी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करके अपनी शिकायत उठाना हमेशा खुला है।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

फरवरी, 2026
राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

4

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"